



70/ 283

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

अपील क्रमांक

1/2016 A01-113-IV

हरिराम पटेल पिता स्व. रामफल पटेल उम्र 60 वर्ष

निवासी ग्राम पड़रिया गौर, धाना बरेला तहसील

व जिला जबलपुर § म.प्र. § अपीलार्थी

विरुद्ध

गोकुलदास पटेल पिता श्री सीताराम पटेल उम्र लगभग 55 वर्ष

निवासी ग्राम पड़रिया गौर, धाना बरेला तहसील

एवं जिला जबलपुर प्रति अपीलार्थी

29

मि. मू. राने म.प. 4/5/16 20/3/16

श्री. अरुण डबेरा
अधिकृत द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार...
16 MAR 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

अपील अंतर्गत धारा 56 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता

अपीलार्थी न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर अपील क्रमांक 658/ बी/121/09-010 पक्षकार हरिराम वि. गोकुलदास में पारित आदेश दिनांक 19.2.2016 से दुखी होकर व पीड़ित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर अपीलार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत कर रहा है।

तथ्य

1. यह कि प्रतिअपीलार्थी ने न्यायालय श्रीमान नायब तहसील दार वृत खमरिया तहसील व जिला जबलपुर के राजस्व, पकरण क्रमांक 56 बी / 121/08-09 में पारित आदेश दिनांक 8.6.2009 के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था।
2. यह कि अपीलार्थी ने न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी § राजस्व § अपील क्रमांक 61 / बी. / 121 / 2008-09 पक्षकार गोकुल दास पटेल वि. हरिराम पटेल में पारित आदेश दिनांक 12.7.2010 से दुखित होकर न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था।
3. यह कि ^{प्रति} अपीलार्थी ग्राम पड़रिया नं.बं. 185/264, प.ह.नं 50, तहसील व जिला जबलपुर में स्थित खसरा नंबर 176 को अपनी भूमि


हरि राम

Handwritten signature



26-10-16

आवेदक को मेरा
 वका नोटिस सर्व लोक वापिस
 प्राप्त। कोई अपाधिक नहीं। समय
 समय पर विस वा पुका भगवान
 रहे। आवेदक के को जे
 कोई अपाधिक नहीं। प्रमाण
 आवेदक के अनुपाधिक के
 काण कदम परी में 2011
 किया गया है।


 2016

पत्र